ग्राम पंचायत कुल्थी, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023

भाग-एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनाँक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत कुल्थी, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" तक के लेखों का अंकेक्षण हि.प्र राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती ममता देवी	01-04-21 से 31-03-23

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री राजीव गुप्ता	01-04-21 से 24-06-21
2.	श्री राजेन्दर कुमार	25-06-21 से 20-04-22
3.	श्री सुनील कुमार	21-04-22 से 26-05-22
4.	श्री राजीव कुमार	27-05-22 से 31-03-23

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत कुल्थी के अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1.	4.2	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में अन्तर पाया जाना	38.92
2.	5	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	64.92
3.	6	प्रियासॉफ्ट में संधारित लेखों तथा हस्तलिखित लेखों के आंकड़ों में भारी अन्तर पाया जाना	17.80
4.	7	गृह कर की नियमित उगाही न करने के कारण पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.33
5.	8	विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली न करना	0.07
6.	9	क्रय किये गये सामान का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होना	15.98
7.	10	नियमानुसार औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टोर/स्टॉक का क्रय करना	01.00
8.	11	खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों के समर्थन में नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख की अनुपस्थिति में रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने के फलस्वरूप सम्भावित राजस्व हानि	0.30
9.	12	आपूर्तिकर्ता को अधिक व अनियमित भुगतान करने बारे	0.11

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत कुल्थी, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/2021 से 31/03 /2023" तक के लेखों का प्रथम व वर्तमान अंकेक्षण श्री अजय कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनाँक 19-03-2024 से 27-03-2024 के दौरान पंचायत कार्यालय, कुल्थी में किया गया। लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2021-22	07/21	02/22
2022-23	10/22	05/22

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के सचिव/प्रधान द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत कुल्थी, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर **₹5,600**/- बनता है। अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 158(ग) दिनांक 27.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कुल्थी से अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत कुल्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

(क) स्वः स्त्रोत:- ग्राम पंचायत कुल्थी के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" तक के स्वः स्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021-22	113050.00	37112.77	150162.77	48439.00	101723.77
2022-23	101723.77	56050.00	157773.77	52072.00	105701.77

{ख} अनुदान:- ग्राम पंचायत कुल्थी के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट -1** में दिया गया है:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021-22	5127377.27	6456078.99	11583456.26	5636820.35	5946635.91
2022-23	5946635.91	6694092.00	12640727.91	6149028.00	6491699.91

{ग} दिनाकं 31.03.23 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम संख्या	शीर्ष	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
1.	General/5TH FC	KCCB KANGRA	20033041495	166788.77
2.	14TH FC	UBI DAULATOUR	49810201000138	416.00
3.	15TH FC	HDFC KANGRA	50100306694621	2349657.00
4.	VKVNY/MMAGY	UBI DAULATOUR	498102010006899	188160.91
	हस्तगत रोकड़			172.00
कुल योग				**2705194.68**

4.1 बैंक समाधान विवरणी:-

दिनांक 31-03-23 को बैंक अनुसार अन्त शेष	2705194.68
दिनांक 31-03-23 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्त शेष (क+ख)	6597401.68
अंतर	**3892207.00**

4.2 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में राशि ₹38.92 लाख का बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना :-

ग्राम पंचायत की रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि०प्र० पंचायती

राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण में पाया गया कि रोकड़ बही व बैंक खातों में दिनांक 31-03-23 को **₹3892207.00** की राशि का अन्तर पाया गया । पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 211(1) दिनांक 27.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कुल्थी से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर संख्या GP/Kulthi 38 दिनांक 27.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: इस अनियमितता के बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों को बैंक शेषों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.3 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified Abstract) को न तैयार करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुये एक आय तथा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग-अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय-व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय-व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

4.4 लेखा खाता /खाताबही तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता / खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 की अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 की अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस –किस कार्य हेतु कितनी – कितनी राशि प्राप्त हुई है व किस – किस कार्य पर कितना – कितना व्यय हुआ है।

अत: वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जाएँ।

5. अनुदान राशि ₹64.92 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है | पंचायतों द्वारा अनुदानों से सबंधित उपलब्ध करवाई गई सूचना **"परिशिष्ट-1"** के अनुसार दिनांक 31-03-23 तक अनुदान राशि ₹6491699.91 उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 211(2) दिनांक 27.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कुल्थी से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या GP/Kulthi 38 दिनांक 27.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: जिन अनुदानों की विहित अवधि समाप्ति हो चुकी है उनके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके, उक्त राशि को निर्धारित उद्देश्य हेतू व्यय करना सुनिश्चित किया जाये |

6. प्रिया सॉफ्ट में संधारित लेखों तथा हस्तलिखित लेखों में ₹17.80 लाख का बहुत ज्यादा अंतर पाया जाना :-

ग्राम पंचायत की रोकड़ बही का अवलोकन करने पर पाया गया कि पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में E- Panchayat Mission Project (MPP) प्रारम्भ की गई

है जिसका क्रियान्वन पंचायती राज विभाग हि. प्र. कर रहा है | इस योजना के क्रियान्वयन के साथ – साथ हि. प्र. पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागजरहित प्रणाली के अंतर्गत e-panchayt में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है |

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण हस्तलिखित तथा प्रिया सॉफ्ट (computerised) दोनों माध्यम से किया जा रहा था तथा जो लेखे Priya Soft में बनाये जा रहें है वे बैंक खातों/हस्तलिखित रोकड़ बही खातों से मिलान नहीं खाते । परिणामस्वरूप ₹1780250.50 का अंतर पाया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

(क) चयनित माह के दौरान प्रियासॉफ्ट में दर्ज मासिक प्राप्ति /व्यय व हस्तलिखित रोकड़ बही के अनुसार मासिक प्राप्ति /व्यय में अंतर (except manrega)

क्रम सं.	माह	प्राप्ति			भुगतान		
		प्रियासॉफ्ट	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर	प्रियासॉफ्ट	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर
1	10/22	836620.00	485777.00	350843.00	2945696.00	864275.00	2081421.00

(ख) प्रियासॉफ्ट में दर्ज वार्षिक प्राप्ति /व्यय व हस्तलिखित रोकड़ बही के अनुसार वार्षिक प्राप्ति /व्यय में अंतर (Except MNREGA)

क्रम सं.	वर्ष	प्राप्ति			भुगतान		
		प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर	प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर
1	2021-22	2756672.77	2750191.77	6481.00	4160898.34	1942259.36	2218638.64
2	2022-23	2202142.00	2202142.00	0.00	1653100.00	1653100.00	0.00

(ग) प्रियासॉफ्ट रोकड़ बही में दर्शाए गए बैंक शेष तथा बैंक पास बुक शेष में अंतर पाया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है:- (Except MNREGA)

वर्ष	प्रियासॉफ्ट के अनुसार बैंक शेष	बैंक पासबुक के अनुसार शेष+(CASH IN HAND)	अंतर
2022-23	4485273.18 + 172 (Cash in Hand) = 4485445.18	2705194.68	1780250.50

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 211(4) दिनांक 27.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर संख्या GP/KULTHI 38 दिनांक 27.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7. गृह कर की नियमित उगाही न करने के कारण राशि ₹0.33 लाख का पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी देय राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय/अदत्त (OUTSTANDING) नहीं रखी जायेगी।

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अपने अधीनस्थ सभी स्त्रोतों जहां से राजस्व उत्पन्न होता है, इतनी रकम का, जितनी बैंक, खजाना या अन्य लेखा-जोखा दिया है के लिए उधार दावा करते हुए, मासिक लेखे और विवरणी, अभिप्राप्त करने की व्यवस्था करेगा और उन्हें प्रारूप 10 में मांग रजिस्टर में नोट करवाएगा।

ग्राम पंचायत के प्रस्तुत अभिलेखों की जांच में पाया गया कि गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख अर्थात गृह कर के मांग व संग्रहण रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया था। पंचायत द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वर्ष 2021-22 से 2022-23 के दौरान ₹100 प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि ₹33200 के पंचायत

राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.23 को शेष थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट "ख"** व नीचे तालिका में दिया गया है:-

सम्पति कर:-

वर्ष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	दर	आ. शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2021-22	642	50	0	32100	32100	0	32100
2022-23	662	50	32100	33100	65200	32000	33200

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी। मांग व वसूली रजिस्टर का साधारण प्रारूप -10 पर नहीं किया गया था जिससे कि लम्बित गृह कर तथा वसूली का सही पता लगाया जा सके। अतः गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख का संधारण न करना तथा गृह कर नियमित रूप से वसूल न करना इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं कर नियमित उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है, जो कि उपरोक्त नियमों की अवहेलना है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 211(3) दिनांक 27.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तिय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या GP/KULTHI 38 दिनांक 27.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः पंचायत राजस्व को परादेय /अदत्त रखने के कारणों से अवगत करवाते हुये लम्बित करों एवं बकाया राजस्व की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(क) पंचायत क्षेत्र में स्थापित मोबाइल टावर से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे

प्रधान सचिव, सूचना प्रोद्योगिकी द्वारा जारी अधिसुचना संख्या DIT.Dev-(IT)2005(Misc.) 96 दिनांक 21 जून 2017 के पैरा 3.4 के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र में मोबाइल टावर की स्थापना पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत को ₹4000 से बढ़ाकर ₹10000 स्थापना शुल्क एवम प्रतिवर्ष ₹2000 से बढ़ाकर ₹5000 नवीनीकरण शुल्क प्राप्त करने का अधिकार है | पैरा

3.4 (ii)के अनुसार हर 5 साल के पूरा होने पर नवीनीकरण शुल्क में 25 % की बढ़ोत्तरी की जाएगी। पैरा 3.4 (iv) के अनुसार कोई भी मोबाइल टावर कम्पनी यदि अतिरिक्त अन्टेना किसी स्थापित टावर पर लगाएगी तो उसे वार्षिक शुल्क का 60% नवीनीकरण देना होगा।

इसके अतिरिक्त पैरा 3.4 (vi) के अनुसार यदि कोई मोबाइल टावर कम्पनी नोटिस की तिथि से 30 दिन के अंदर शुल्क नही चुकाती है तो उसे प्रति सप्ताह 5% दंड शुल्क भी चुकाना होगा परन्तु यदि लम्बित राशि नोटिस की तिथि से दो माह तक भी नही चुकाई जाती है तो ग्राम पंचायत सम्बन्धित कम्पनी की अनुमति रद करने बारे नोटिस जारी कर सकती है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 2021-2022 में पंचायत क्षेत्र में स्थापित मोबाइल टावर से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे मोबाइल टावर कंपनी से वसूली योग्य राशि की जांच अंकेक्षण द्वारा नहीं की सकी, जो पंचायती राज (वित्त) नियम 2002 के नियम 79(2) की स्पष्ट उलंघना है |

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 211(8) दिनांक 27.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/KULTHI 38 दिनांक 27.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 विवाह पंजीकरण शुल्क राशि ₹0.07 लाख की वसली न करने बारे :

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिताहिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या – SJE-A-A-(3)-1/2015दिनांक04.10.2016 के अनुसार विवाह के पंजीकरण हेतु 200(सामान्य)व आई . आर. डी. पी./बी.पीएल.के लिए 25 पंजीकरण शुल्क व 30 दिनों के बाद 90 दिनों के भीतर 400 (सामान्य) से व 50 आई. आर. डी. पी./बी.पीएल से प्रति विवाह पंजीकरण शुल्क वसूल करके सरकारी कोष में जमा करवाना अनिवार्य है |

अंकेक्षण के दौरान विवाह पंजीकरण रजिस्टर के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 04/21 से 03/23 के दौरान निम्नलिखित आवेदकों का पंजीकरण किया गया था परन्तु इनसे कोई विवाह पंजीकरण शुल्क प्राप्त नहीं किया गया था, जिसका विवरण निम्नानुसार से है:-

क्रम संख्या	विवाह पंजीकरण रजिस्टर के अनुसार क्रम संख्या व पेज संख्या	आवेदक का नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	वसूल योग्य राशि
1.	04/54	शशी कुमार	02.05.2021	22.06.2021	400
2.	07/55	रोहित कुमार	31.07.2021	09.09.2021	400
3.	08/55	कृष्ण कुमार	04.08.2021	09.09.2021	400
4.	09/56	विकास कुमार	18.09.2021	08.10.2021	200
5.	10/56	मुकेश कुमार	25.10.2021	08.11.2021	200
6.	11/56	विपन कुमार	18.10.2021	12.11.2021	200
7.	12/56	विवेक पाल	07.11.2021	20.11.2021	200
8.	13/56	अनुराग चौधरी	07.12.2021	20.12.2021	200
9.	13(i)/57	गुलशन कुमार	07.12.2021	24.12.2021	200
10.	14/57	दीपक भला	11.12.2021	04.01.2022	200
11.	15/57	पंकज नाग	07.01.2022	24.02.2022	400
12.	16/57	अजय कुमार	11.12.2021	24.02.2022	400
13.	17/58	रमन कुमार	20.02.2022	08.03.2022	200
14.	18/58	अश्वनी कुमार	20.04.2022	09.05.2022	200
15.	19/58	लवली भाटिया	02.05.2022	19.05.2022	200
16.	20/58	साहिल चौधरी	16.05.2022	27.08.2022	400
17.	21/59	दिनेश कुमार	19.04.2022	04.06.2022	400
18.	**22/59**	मुकेश कुमार	04.12.2022	27.12.2022	200
19.	**23/59**	दिग्विजय कुमार	14.12.2022	27.12.2022	200
20.	24/59	गगन कुमार	20.12.2022	10.01.2022	200
21.	25/59	मुनीश कुमार	14.12.2022	12.01.2022	200
22.	01/59	अमित कुमार	15.01.2023	07.02.2023	200

23.	02/59	संदीप कुमार	15.01.2023	08.02.2023	200
24.	03/59	लकी कुमार	30.01.2023	13.02.2023	200
25.	04/59	कार्तिक कुमार	25.01.2023	13.02.2023	200
26.	05/59	रणजीत कुमार	27.01.2023	13.02.2023	200
27.	06/59	सूरज शर्मा	09.02.2023	02.03.2023	200
28.	07/59	शुभाष कौंडल	22.02.2023	16.03.2023	200
29.	08/59	अक्षय चौधरी	08.03.2023	28.03.2023	200
				कुल योग	**7200**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 211(6) दिनांक 27.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/KULTHI 38 दिनांक 27.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके ऑडिट को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

9 क्रय किये गये सामान राशि ₹15.98 लाख का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 72(1) (ए.बी.सी.डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गये सामान का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25, 26, 27 व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है |

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के दौरान की गई खरीद के व्यय वाउचरों की नमूना जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹1598169/- के स्टॉक को क्रय उपरांत स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज नही किया गया था :-

क्रम संख्या	बिल/वा० संख्या, वर्ष/माह	भुगतान की तिथि	फर्म का नाम	विवरण	राशि
1.	**20**, दिनांक 27.10.21	21.05.2022	मै. धनोटिया इंटरप्राइजेज	पौधे (मनरेगा)	26800
2.	**23**, दिनांक 27.10.21	21.05.2022	मै. धनोटिया इंटरप्राइजेज	पौधे (मनरेगा)	12500
3.	**279**, दिनांक 27.10.21	21.05.2022	मै. धनोटिया इंटरप्राइजेज	पौधे (मनरेगा)	31098
4.	**281**, दिनांक 27.10.21	21.05.2022	मै. धनोटिया इंटरप्राइजेज	पौधे (मनरेगा)	34452
5.	**280**, दिनांक 27.10.21	21.05.2022	मै. धनोटिया इंटरप्राइजेज	पौधे (मनरेगा)	35000
6.	**282**, दिनांक 27.10.21	21.05.2022	मै. धनोटिया इंटरप्राइजेज	पौधे (मनरेगा)	19300
7.	**290**, दिनांक 27.10.21	21.05.2022	मै. धनोटिया इंटरप्राइजेज	पौधे (मनरेगा)	32198
8.	**283**, दिनांक 27.10.21	21.05.2022	मै. धनोटिया इंटरप्राइजेज	पौधे (मनरेगा)	27798
9.	**284**, दिनांक 27.10.21	21.05.2022	मै. धनोटिया इंटरप्राइजेज	पौधे (मनरेगा)	22300
10.	**286**, दिनांक 27.10.21	21.05.2022	मै. धनोटिया इंटरप्राइजेज	पौधे (मनरेगा)	20700
11.	**287**, दिनांक 27.10.21	21.05.2022	मै. धनोटिया इंटरप्राइजेज	पौधे (मनरेगा)	21300
12.	**288**, दिनांक 27.10.21	21.05.2022	मै. धनोटिया इंटरप्राइजेज	पौधे (मनरेगा)	24000
13.	**289**, दिनांक 27.10.21	21.05.2022	मै. धनोटिया इंटरप्राइजेज	पौधे (मनरेगा)	24000
14.	**125**, दिनांक 27.10.21	21.05.2022	मै. धनोटिया इंटरप्राइजेज	पौधे (मनरेगा)	14100
15.	**126**, दिनांक 27.10.21	21.05.2022	मै. धनोटिया इंटरप्राइजेज	पौधे (मनरेगा)	19225
16.	**127**, दिनांक 27.10.21	21.05.2022	मै. धनोटिया इंटरप्राइजेज	पौधे (मनरेगा)	19200

17.	**129.** दिनांक 27.10.21	21.05.2022	मै. धनोटिया इंटरप्राइजेज	पौधे (मनरेगा)	19200
18.	130, दिनांक 27.10.21	21.05.2022	मै. धनोटिया इंटरप्राइजेज	पौधे (मनरेगा)	21800
19.	131, दिनांक 27.10.21	21.05.2022	मै. धनोटिया इंटरप्राइजेज	पौधे (मनरेगा)	19200
20.	132, दिनांक 27.10.21	21.05.2022	मै. धनोटिया इंटरप्राइजेज	पौधे (मनरेगा)	22050
21.	135, दिनांक 27.10.21	21.05.2022	मै. धनोटिया इंटरप्राइजेज	पौधे (मनरेगा)	21125
22.	136, दिनांक 27.10.21	21.05.2022	मै. धनोटिया इंटरप्राइजेज	पौधे (मनरेगा)	21775
23.	**185**, दिनांक 19.10.21	21.05.2022	मै. सनशाइन इंटरप्राइजेज	Tree guard (मनरेगा)	22310
24.	**158**, दिनांक 19.10.21	21.05.2022	मै. सनशाइन इंटरप्राइजेज	Tree guard (मनरेगा)	13570
25.	**160**, दिनांक 19.10.21	21.05.2022	मै. सनशाइन इंटरप्राइजेज	Tree guard (मनरेगा)	5060
26.	**161**, दिनांक 19.10.21	21.05.2022	मै. सनशाइन इंटरप्राइजेज	Tree guard (मनरेगा)	10580
27.	**162**, दिनांक 19.10.21	21.05.2022	मै. सनशाइन इंटरप्राइजेज	Tree guard (मनरेगा)	12790
28.	**163**, दिनांक 19.10.21	21.05.2022	मै. सनशाइन इंटरप्राइजेज	Tree guard (मनरेगा)	11500
29.	**164**, दिनांक 19.10.21	21.05.2022	मै. सनशाइन इंटरप्राइजेज	Tree guard (मनरेगा)	8920
30.	**165**, दिनांक 19.10.21	21.05.2022	मै. सनशाइन इंटरप्राइजेज	Tree guard (मनरेगा)	89200
31.	**450/400**, दिनांक 27.10.21	21.05.2022	मै. जी एम पी सपलाईज	निर्माण सामग्री (मनरेगा) रेत, बजरी	69435
32.	**486**, दिनांक 27.10.21	21.05.2022	मै. जी एम पी सपलाईज	निर्माण सामग्री (मनरेगा) रेत, बजरी	49295
33.	**409**, दिनांक 27.10.21	21.05.2022	मै. जी एम पी सपलाईज	निर्माण सामग्री (मनरेगा) रेत,	50795

				बजरी	
34.	**485** दिनांक 27.10.21	21.05.2022	मै. जी एम पी सपलाईज	निर्माण सामग्री (मनरेगा) रेत, बजरी	51895
35.	**408**, दिनांक 27.10.21	21.05.2022	मै. जी एम पी सपलाईज	निर्माण सामग्री (मनरेगा) रेत, बजरी	42925
36.	**465**, दिनांक 27.10.21	21.05.2022	मै. जी एम पी सपलाईज	निर्माण सामग्री (मनरेगा) रेत, बजरी	32075
37.	**427**, दिनांक 27.10.21	21.05.2022	मै. बिल्ड वर्थ	निर्माण सामग्री (मनरेगा) टाइल्स	94642
38.	**54**, दिनांक 10.07.21	21.05.2022	मै. लक्ष्मी सीमेंट वर्क्स	(मनरेगा बोर्ड)	2950
39.	**57**, दिनांक 10.07.21	21.05.2022	मै. लक्ष्मी सीमेंट वर्क्स	(मनरेगा बोर्ड)	2950
40.	**59**, दिनांक 10.07.21	21.05.2022	मै. लक्ष्मी सीमेंट वर्क्स	(मनरेगा बोर्ड)	2950
41.	**88**9 दिनांक 16.10.21	17.05.2022	मै. लक्ष्मी सीमेंट वर्क्स	(मनरेगा बोर्ड)	2685
42.	10929 दिनांक 03.11.2021	19.02.2022	मै. हि. प्र. सिविल सप्लाई	सीमेंट बैग	335234
43.	10813 दिनांक 10.01.2022	19.02.2022	मै. हि. प्र. सिविल सप्लाई	सीमेंट बैग	177287
				कुल योग	**1598169**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 212(13) दिनांक 27.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/KULTHI 38 दिनांक 27.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख तैयार करने उपरान्त सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹01.00 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹99962/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्रम संख्या	**वा०/बिल संख्या, वर्ष/माह**	**फर्म का नाम**	**विवरण**	**राशि**
1.	**427**, दिनांक 21.05.2022	मै. बिल्ड वर्थ	निर्माण सामग्री (मनरेगा) टाइल्स	94642
2.	**FFC/10**, दिनांक 17.02.2022	मै. कुशुम इंटरप्राइजेज	निर्माण सामग्री (मनरेगा) टाइल्स	**5320**
			कुल योग	**99962/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 212(12) दिनांक 27.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/KULTHI 38 दिनांक 27.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके ऑडिट को अवगत करवा दिया जाएगा।

ग्राम पंचायत द्वारा निविदा सम्बन्धित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही व्यय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाये बिना कृत व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में कार्यों को करने से पूर्व आवश्यक निर्धारित औपचारिकताएं विधिवत पूर्ण करने के उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए व तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों के समर्थन में नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख की अनुपस्थिति में रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने के फलस्वरूप राशि ₹0.30 लाख के राजस्व की सम्भावित हानि:-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम '81' व '81ए' के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या स्प्लीमेंटरी पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गयी थी परन्तु आपूर्तिकर्ता के खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के सम्बन्ध में उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को निम्न विवरणानुसार ₹**30456/-** का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है :-

नाम	**मात्रा (cum)**	**फैक्टर**	**कुल मात्रा**	**दर (प्रति टन)**	**राशि**
रेत	69.696	1.62	112.90	80	9032
बजरी	125.658	1.52	191.00	80	15280
पत्थर	0.296	2.24	0.663	80	53
				कुल योग	**24365**
				पेनल्टी 25%	6091
				कुल योग	**30456**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 212(9) दिनांक 27.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/KULTHI 38 दिनांक 27.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण रॉयल्टी की गणना नहीं की जा सकी, उतर संतोषजनक नहीं है।

अतः ₹30456/- के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस प्रकरण को सम्बन्धित विभाग से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हि. प्र. सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853-Non ferrous mining and Metallurgical Industries,102- Mineral Concession fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माह के भुगतानों को रॉयल्टी के लिए जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जांच अपने स्तर पर करके यथास्थिति नियमानुसार देय रॉयल्टी की वसूली करना सुनिश्चित करें।

12 आपूर्तिकर्ता को ₹0.11 लाख का अधिक व अनियमित भुगतान करने बारे

अंकेक्षण के दौरान मनरेगा निधि के निम्नलिखित बिलों की जाँच में पाया गया कि मै. धनोटिया इंटरप्राइजेज को मूल बिल के अनुसार भुगतान की जाने योग्य राशि से अधिक भुगतान पंचायत द्वारा किया गया था जिसके कारण ₹10549.66 अधिक व अनियमित भुगतान उक्त फर्म को किया गया था जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	बिल संख्या / दिनांक	भुगतान की तिथि	विवरण	बिल के अनुसार भुगतान की जाने योग्य राशि (₹)	भुगतान की गई राशि (₹)	अन्तर/ अधिक भुगतान
1	279/27.10/2021	21.05.2022	Plants	30100.00	31098.74	998.74
2	281/27.10.2021	21.05.2022	Plants	28800.00	34452.68	5652.68
3	290/27.10.2021	21.05.2022	Plants	28300.00	32198.24	3898.24
					कुल योग	**10549.66**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 212(17) दिनांक 27.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/KULTHI 38 दिनांक 27.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

13 निर्माण कार्य Construction of Ambulance road main road to degrabastiward no. 2 के लिए ₹1320/- का अधिक भुगतान बारे :-

निर्माण कार्य **Construction of Ambulance road main road to degrabasti ward no. 2** की जांच के दौरान पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 33171, पृष्ट संख्या 26-28, में निर्माण सामग्री (शेट्रिंग) का माप पुस्तिका में निष्पादन कम किया दर्शाया गया था जबकि इस कार्य के लिए निर्माण सामग्री (शेट्रिंग) का क्रय अधिक किया गया था जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	सामग्री का नाम	किराये पर ली गयी सामग्री की मात्रा	निर्माण कार्य पर उपयोग हुई सामग्री की मात्रा	अंतर	दर	राशि
1	शेट्रिंग	49.29 sqm	39.29 sqm	10sqm	132	1320
	कुल योग					**1320/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 212(14) दिनांक 27.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/KULTHI 38 दिनांक 27.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त कार्य हेतु क्रय निर्माण सामग्री की अपेक्षा कम सामान के प्रयोग/लेखांकन के फलस्वरूप अधिक भुगतान/अनियमित व्यय को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वस्तुस्थिति अनुसार देय राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 पंचायत सदस्यों को ₹0.11 का मानदेय के रूप में अधिक भुगतान करने बारे:-

हि० प्र० पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या PCH-HA(3)20/95-III-40828-970 दिनांक 06.07.2019 के अनुसार, प्रधान ग्राम पंचायत को मासिक मानदेय ₹4500 व उप प्रधान ग्राम पंचायत को मासिक मानदेय ₹3000 तथा निर्वाचित सदस्यों (वार्ड पंच) को ग्राम पंचायत की सभा में उपस्थिति के अनुरूप ₹250 प्रति वैठक, (बशर्ते एक महीने में अधिकतम दो बैठकें हों) के रूप में मानदेय का भुगतान किया जाएगा तथा यदि कोई सदस्य सभा में उपस्थित नहीं होता है तो इस सभा के लिए मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान सामान्य निधि की रोकड़ बही के वाउचर संख्या P/12 दिनांक 28-09-21 के अन्तर्गत मानदेय अवधि 02/2021 से 06/2021 हेतु ग्राम पंचायत द्वारा मानदेय राशि ₹66000/- का कुल भुगतान निम्न तालिका के स्तम्भ-4 अनुसार किया गया था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि इस अवधि के दौरान पंचायत पदाधिकारियों को ₹11000/- का मानदेय के रूप में निम्नानुसार अधिक भुगतान किया गया था :-

क्रम संख्या	पंचायत पदाधिकारी का नाम	पद	मानदेय के रूप में भुगतान की गई राशि	उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार वास्तविक भुगतान योग्य राशि	अधिक भुगतान
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	श्रीमती ममता देवी	प्रधान	27000	(5X4500)= 22500	4500
2.	श्री राम कृष्ण	उप प्रधान	18000	(5X3000)= 15000	3000
3.	श्रीमती श्रेष्ठा देवी	वार्ड पंच	(10X300)= 3000	(10X250) = 2500	500
4.	श्रीमती सुमना देवी	वार्ड पंच	(10X300)= 3000	(10X250) = 2500	500
5.	श्रीमती सुदेश कुमारी	वार्ड पंच	(10X300)= 3000	(10X250) = 2500	500
6.	श्रीमती सुनीता कुमारी	वार्ड पंच	(10X300)= 3000	(10X250) = 2500	500
7.	श्री विपिन कुमार	वार्ड पंच	(10X300)= 3000	(10X250) = 2500	500
8.	श्री पंकज कुमार	वार्ड पंच	(10X300)= 3000	(10X250) = 2500	500
9.	श्री पवन कुमार	वार्ड पंच	(10X300)= 3000	(10X250) = 2500	500
		कुल	**66000**	**55000**	**11000**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 211(7) दिनांक 27.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/KULTHI 38 दिनांक 27.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके ऑडिट को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा दृष्टांत मामलों के अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि में किये गये ऐसे अन्य भुगतानों की संस्था स्तर पर विस्तृत जाँच कर वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से भी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

15 आपूर्तिकर्ता को ₹400 का अधिक भुगतान करने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान वाउचर संख्या FFC/12 दिनांक 17.02.2022 की जाँच के दौरान पाया गया किमै. दैनिक सवेरा न्यूज़ मीडिया नेटवर्क को विज्ञापन हेतु ₹2500 का भुगतान किया था परन्तु उक्त फर्म को भुगतान योग्य राशि ₹2100 बनती थी जिसके परिणाम फलस्वरूप ₹400 का अधिक भुगतान उक्त फर्म को किया गया था, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	बिल संख्या	फर्म का नाम	भुगतान की गई राशि	बिलानुसार भुगतान योग्य राशि
1	JA-21-474010	मै. दैनिक सवेरा न्यूज़ मीडिया नेटवर्क	2500	2100 (Gross Amount ₹2500– less 15% Trade Discount (₹375)+ Rebate 5.882% (₹125)

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 212(15) दिनांक 27.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/KULTHI 38 दिनांक 27.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

16 मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 79(2) अनुसार पंचायत सचिव संपरीक्षा के संचालन के लिए, संपरीक्षक(कों) सुसंगत अभिलेख

प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा और सभी अभिलेखों विवरणीयो और लेखोंके रजिस्टर/ अभिलेख संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए तैयार रखेगा |

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि चयनित माह 02/2022 मनरेगा शीर्ष के अन्तर्गत विवरण अनुसार निम्न भुगतान से सम्बन्धित मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया, जिसके कारण भुगतान की गई राशि की सत्यता की जाँच अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी |

क्रम संख्या	बिल संख्या/ दिनांक	भुगतान की तिथि	शीर्ष/ आयोग	राशि
1	010813000/10.01.2022	19.02.2022	मनरेगा	60556.21
			कुल योग	**60556.21**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 212(16) दिनांक 27.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/KULTHI 38 दिनांक 27.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

17 दोहरी उपस्थिति के कारण अनियमित भुगतान करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान मनरेगा के मस्ट्रोल में उपस्थित पंचायत सदस्यों की उपस्थिति की जाँच पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर के साथ करने पर पाया गया कि पंचायत सदस्यों की उपस्थिति सामान दिन में मनरेगा मस्ट्रोल व पंचायत बैठक दोनों में दर्ज की गई थी, जो कि अनियमित है | उपरोक्त अनियमिता का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	मस्ट्रोल संख्या/अवधि	निर्माण कार्य का नाम	मस्ट्रोल में उपस्थिति की तिथि	पंचायत बैठक में उपस्थिति की तिथि	मानदेय के रूप में भुगतान की गई राशि	मनरेगा की मजदूरी दर के रूप में भुगतान की गई राशि
1.	श्रीमती सुमना देवी, वार्ड पंच	.....1168..... 08.05.2022 से 15.05.2022	C/O Path main path to Babdi ward no. 6	09.05.2022	09.05.2022	250	203

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 211(5) दिनांक 27.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/KULTHI 38 दिनांक 27.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार उपरोक्त अनियमित भुगतान की वसूली वस्तुस्थिति अनुसार यथोचित दर से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18 बिल/ वाउचरों के भुगतान हेतु पारित आदेश सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूरा न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संख्यापरीक्षा, संख्याकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1) में पंचायत द्वारा भुगतान आदेश जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/2021 से 03/2023 के दौरान बिलों का भुगतान हेतू उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया था जिनमें से चयनित माह के व्यय का विवरण निम्न दिया गया है।

क्र° स°	वर्ष	चयनित माह	चयनित माह में पारित बिलों की कुल राशि
1	2021-22	02/22	1070612.55
2	2022-23	05/22	1459715.09

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 212(10) दिनांक 27.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/KULTHI 38 दिनांक 27.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

19. बिल / वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार "पंचायत के सचिव प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित करेगा" ।

परन्तु अंकेक्षण हेतु चयनित माह 02/22 व 05/22 के दौरान व्यय वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि माह 02/22 व 05/22 के दौरान व्यय की गई राशि से सम्बन्धित बिल/ वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं थे जो कि उपरोक्त नियमों के विपरित है|

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 212(11) दिनांक 27.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/KULTHI 38 दिनांक 27.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

20 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है |

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र. स.	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	1	12
2.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	---	15(1)
3.	सहायक अनुदान रजिस्टर, हि. प्र. पंचायती राज सामान्य नियम 1997	8	34
4.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण न करना	25 व 26	72(1) (ए,बी)

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 212(18) दिनांक 27.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/KULTHI 38 दिनांक 27.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

21 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया।

22 **लघु-आपति विवरणिका :-** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई हैं।

23 **निष्कर्ष:-** लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवयश्कता है।

1 4 JUN 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

2820 – 2824 का0 / 50

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(15)(2)399 / 2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत कुल्थी, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

14 JUN 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0 / 50

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-22 OF GRAM PANCHAYT KULTHI BLOCK KANGRA DISTRICT KANGRA PINCODE 176038

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2021-22	113050.00	37112.77	150162.77	48439.00	101723.77

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2021 IN CASH BOOK **113050.00**

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-23 OF GRAM PANCHAYT KULTHI BLOCK KANGRA DISTRICT KANGRA PINCODE 176038

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2022-23	101723.77	56050.00	157773.77	52072.00	105701.77

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2022 IN CASH BOOK **101723.77**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत कुल्थी
विकास खण्ड कांगड़ा (हि.प्र.

परिशिष्ट-1 पैरा 5 के संदर्भ में

FINANCIAL POSITION OF GRANT-IN-AID OF GP KULTHI BLOCK KANGRA FOR THE YEAR 2021-22

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	293759.36	8655.00	302414.36	302414.36	0.00
2	MGNREGA	0	3742999.99	3742999.99	3742999.99	0.00
3	ZP	0	0.00	0.00	0.00	0.00
4	5TH FC	0	534789.00	534789.00	397093	137696.00
5	DPO GRANT	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6	MPLAD	0	0.00	0.00	0.00	0.00
7	MMAGY	0	525000.00	525000.00	388386.00	136614.00
8	VKVNY	358054.91	304189.00	662243.91	353364	308879.91
9	SDRF	0	0.00	0.00	0.00	0.00
10	13TH FC	0	0.00	0.00	0.00	0.00
11	SBM	0	0.00	0.00	0.00	0.00
12	GRDY	0	0.00	0.00	0.00	0.00
13	RGSA	0	0.00	0.00	0.00	0.00
14	SDP	0	0.00	0.00	0.00	0.00
15	MMGPY	0	0.00	0.00	0.00	0.00
16	15TH FC	4475563.00	1340446.00	5816009.00	452563.00	5363446.00
	TOTAL	**5127377.27**	**6456078.99**	**11583456.26**	**5636820.35**	**5946635.91**

FINANCIAL POSITION OF GRANT IN AID OF GP KHOLA BLOCK KANGRA FOR THE YEAR 2022-23

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	0.00	416.00	416.00	0.00	416.00
2	MGNREGA	0.00	4548000.00	4548000.00	4548000.00	0.00
3	ZP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	5TH FC	137696.00	411770	549466.00	506367	43099.00
5	DPO GRANT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	MPLAD	0.00	0	0.00	0	0.00
7	MMAGY	136614.00	323950.00	460564.00	445889.00	14675.00
8	VKVNY	308879.91	80958	389837.91	216352	173485.91
9	SDRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	13TH FC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	SBM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	GRDY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	RGSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	SDP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	MMGPY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	15TH FC	5363446.00	1328998.00	6692444.00	432420.00	6260024.00
	TOTAL	**5946635.91**	**6694092.00**	**12640727.91**	**6149028.00**	**6491699.91**

GRANT IN AID AS ON 01-04-2022 IN CASH BOOK **5946635.91**

J.E.

प्रधान
ग्राम पंचायत कुल्थी
विकास खण्ड कांगड़ा (हि.प्र.)

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत कुल्थी
विकास खण्ड कांगड़ा

BANK DETAIL OF GP DAULTPUR BLOCK KANGRA DISTRICT KANGRA

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 01-04-21

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMOUNT
1	General/5TH FC	KCCB KANGRA	20033041495	113050.00
2	14TH FC	UBI DAULATOUR	49810201000138	293759.36
3	15TH FC	HDFC KANGRA	50100306694621	447563.00
4	VKVNY/MMAGY	UBI DAULATOUR	498102010006899	358054.91
5	CASH IN HAND			0.00
			TOTAL	1212427.27

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-22

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMOUNT
1	General/5TH FC	KCCB KANGRA	20033041495	187470.77
2	14TH FC	UBI DAULATOUR	49810201000138	407.00
3	15TH FC	HDFC KANGRA	50100306694621	1356746.00
4	VKVNY/MMAGY	UBI DAULATOUR	498102010006899	445492.91
5	CASH IN HAND			515.00
			TOTAL	1990631.68

BANK DETAIL OF GP DAULTPUR BLOCK KANGRA DISTRICT KANGRA

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-23

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMOUNT
1	General/5TH FC	KCCB KANGRA	20033041495	166788.77
2	14TH FC	UBI DAULATOUR	49810201000138	416.00
3	15TH FC	HDFC KANGRA	50100306694621	2349657.00
4	VKVNY/MMAGY	UBI DAULATOUR	498102010006899	188160.91
6	CASH IN HAND			172.00
			TOTAL	2705194.68

J.A

ग्राम पंचायत दौलतपुर
विकास खण्ड कांगड़ा (हि.प्र.)

परिशिष्ट-ख पैरा 7 के संदर्भ में।

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-22 OF GRAM PANCHAYT KULTHI BLOCK KANGRA DISTRICT KANGRA

YEAR		RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2021-22	642.00	50	0.00	32100	32100	0.00	32100

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-23 OF GRAM PANCHAYT KULTHI BLOCK KANGRA DISTRICT KANGRA

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2022-23	662.00	50.00	32100	33100	65200	32000	33200

J.A

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत कुल्थी
वि. ख. खण्ड कांगड़ा । हि.प्र.